न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कि0रेनवाल जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.
राजस्व वाद संख्या :– 158/2008 पुराना, .../2023 दायर तारीख :– 23.07.2008

1. भीवा पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी लालासार तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर

फौत

1/1 सुरज्ञान मल पुत्र भीवाराम
1/2 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भीवाराम
1/3 तीजा देवी पत्नी भीवाराम
1/4 सुरजी देवी पुत्री भीवाराम
1/5 मूली देवी पुत्री भीवाराम
1/6 मंजू देवी पुत्री भीवाराम

वादीगण

बनाम

1. कानाराम दत्तक पुत्र नन्दा जाति जाट फौत
   1/1 सेडूराम पत्नी कानाराम
   1/2 रामप्रकाश पुत्र कानाराम
   1/3 श्रवण पुत्र कानाराम
   समस्त जाति जाट निवासी लालासर तहसील कि0 रेनवाल हाल निवासी छोटी भिलाल तहसील नांवा जिला नागौर राज0
   1/4कोयली देवी पुत्री कानाराम जाति जाट पत्नि शंकर लाल निवासी नया बास जोबनेर जिला जयपुर
   1/5 हंसा पुत्री कानाराम जाति जाट पत्नी फुलचन्द निवासी नयाबास जोबनेर जिला जयपुर
2. भूराराम दत्तक पुत्र परताराम जाति जाट निवासी लालासर तहसील कि0 रेनवाल
3. प्रेम देवी पत्नी जगदीश
4. भूरी देवी पत्नी मांगूराम
5. शांति पत्नी नारूराम

   समस्त जाति मीणा निवासी बलेखण तहसील चौमू जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मुकेश बगडिया , अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 31/10/25

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 597 रकबा 10 बीघा बा0–1 वाके लालासर प0ह0 लालासर तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है। जो भीवा, काना, भूरा के पिता भोमा उर्फ भेबला ने 23.04.71 को हनुमान सिह वल्द वा0 सेडूसिंहजी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख स्वंय की पुश्तैनी अर्जित आय से भींवा, काना, भूरा यानि अपने जांयदा पुत्रान के नाम से क्रय की थी और भूमि का प्रतिफल भोमा उर्फ भेबला ने अदा किया था, जिसके आधार पर राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी काना, भींवा, भूरा के नाम दर्ज की गयी। उक्त आराजी क्रय करते समय कानाराम करीब 5 साल का था व भूरामल प्रतिवादी करीब 7–8 साल का था अतः उक्त आराजी का प्रतिफल भोमाराम उर्फ भेभा उर्फ भेबला ने ही अदा किया था अपितु इनके पिता ने स्वंय की आय से क्रय कर इनके नाम खातेदारी लगायी थ। इस प्रकार कथित आराजी वादी व प्रतिवादी नॅम्बर 1,2 की स्वअर्जित नहीं है। अपितु इनके पिता ने स्वयं की आय से क्रय कर इनके नाम खातेदारी लगायी थी। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1,2 के परिवार का सिजरा वाद पत्र में वर्णित है। काना को नून्दाराम ने 23/2/1988 को गोद लेकर गोदनाम रजिस्टर्ड करा दिया जिसके अनुसार काना प्र0न0 1 का गोद जाने के उपरांत

उक्त आराजी में कोई हक नहीं रहा उसका काना की सम्पति में हित हो गया और खातेदारी काना के नाम नून्दा की सम्पति की खुल गयी इसी प्रकार भूराराम भी परताराम के गोद चला गया और उसकी सम्पति में उसका हित निहित हो गया इस प्रकार भूराराम, कानाराम दोनो गोद जाने के कारण उनका विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और वादी ही सम्पूर्ण आराजी का मालिक हो गया है और काबिज काश्त चला आ रहा है। चूकि राजस्व रिकोर्ड में खसारा नम्बर 597 रकबा 10 बीघा वादी व प्र0 न0 1के नाम दर्ज होने से प्र0 न0 1,2 गोद जाने के उपरांत इसका नाजायज फायदा उठाते हुये प्र0न0 1 कानाराम ने उक्त आराजी का 1/3 हिस्सा बिना कब्जे , बिना अधिकार व यह जानते हुए कि वह भोमाराम का पुत्र नहीं है व नून्दा के गोद आ चुका है व नून्दा की सम्पति का मालिक हो चुका है के बावजूद दिनांक 26.03.2007 को प्र0न0 3,4,5 को 1,50,000/रूपये में बेचान कर रजिस्टरी 28.03.2007 को तस्दीक करा दी जो दिनांक 05.04.07 को दस्तावेज संख्या 428 क्रमांक पर पंजीयन उपपंजीयक कि0 रेनवाल कार्यालय में की गई है। जिसके आधार पर कोई कब्जा प्र0 न0 3,4,5 को नहीं दिया गया है, आज भी सम्पूर्ण रकबे 10 बीधा पर वादी काबिज काश्त है। प्र0न0 1,2 गोद जाने के उपरांत अपना हक छोड गये थे, और वादी कानूनन भोमा का जांयदा पुत्र होने से सम्पूर्ण आराजी का हकदार हो गया था और वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1,2 को कई बार दुरूस्ती कराने को कहा तो वह कहते रहे कि हमतो गोद चले गये और और हमारे पिता नून्दा व परताराम के हिस्से की आराजी ले ली है। हमारा इस आराजी से कोई लेना देना नहीं है दुरूस्ती करा देगें किन्तु प्र0 न0 1 के मन में बेईमानी आ जाने से उक्त रजिस्टरी बिना कब्जे, बिना अधिकार के करादी जिसके वादी कतई पांबद नहीं है जिस दिन बेचान हुआ उस दिन प्र0न0 1 न तो भोमाराम का पुत्र था न उसका कब्जा था अपितु वह नून्दा का पुत्र हो चुका था।प्रतिवादीगण 3 ल0 5 बेचान पत्र के आधार पर कब्जा करने व नामा0 खुलकर परिवर्तन कराकर आगे विक्रय करना चहाते है इस गरज से दिनांक 16.06.07 को विवादग्रस्त आराजी पर आये और जबरन 1/3 हिस्से पर कब्जा करने व वादी को बेदखल कर ने की चेष्टा की किन्तु उस समय अन्य लोगों के आने से प्रतिवादीगण चले गये, किन्तु ऐलानिया कब्जा करने, नामा0 खुलाकर अन्य को विक्रय करने व वादी को बेदखल करने की धमकी दे दी ऐसी स्थिति में वादी के लिए वाद इस्तकरार हक , स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/5 बावजूद सूचना हाजिर नहीं है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रति संख्या 2 की ओर से वकील शंकरलाल काजला ने वकालतनामा पेश किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वाद में आराजी खसरा नम्बर 597 वाके ग्राम लालासर में स्थित होना जो भींवा, काना, भूरा के पिता भेमा उर्फ भेबला ने 23.04.71 को हनुमान सिंह वल्द रोड सिंह जी से पुश्तैनी आराजी से भींवाकाना भूरा यानि अपने जायंदा पुत्रान के नाम क्रय करना स्वीकार है और भूमि का प्रतिफल भेमा उर्फ भेबला ने अदा किया था जिसके आधार पर राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी काना, भीवा, भूरा के नाम दर्ज की गयी थी कथित आराजी वादी व प्र0न0 1,2 की स्वअर्जित नहीं है। वाद में वर्णित सिजरा खानदान सही है। वादी मृतक भोमाराम उर्फ भेबला का पुत्र है एंव भूराराम व अपने चाचा परताराम के एंव काना मृतक नून्दा के चला गया था। इस प्रकार भूराराम व नून्दा गोद चले जाने से उनका विवादित आराजी में कोई अधिकार नहीं है। वादी भीवा ही मालिक है। आज भी सम्पूर्ण रकबे 10 बीघा पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है। जिस दिन बेचान हुआ उस दिन प्र0न0 1 कानाराम न तो भेमाराम का पुत्र था न उसका कब्जा था, अपितु वह नुन्दा के गोद चुका था। गलत बेचान के आधार पर कब्जा करने , नामा0 खुलाकर अन्य को विक्रय करने पर उतारू है। जब कि वादी मौके पर काबिज है। प्र0न0 3 ल0 5 का कब्जा नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 597 वाके ग्राम लालासर तह0 फुलेरा में स्थित है जो भोमाराम

उर्फ भेमा उर्फ भेबला ने अपनी अर्जित आय से क्रय किया था इस प्रकार कथित आराजी प्र0न01,2 की स्वअर्जित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से वकील लक्ष्मण सिंह जी उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश किया जिसका संक्षिप्त में वाक्यात इस प्रकार है कि भीवा, काना फौत व भूरा के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होना स्वीकार है। उक्त जमीन मृतक काना ने ही खरीदी थी तथा उसी के नाम से राजस्व रिकोर्ड दर्ज हुई है तथा उसी की स्वअर्जित सम्पति थी। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 का गोद जाने के उपरांत भी कानूनन हक रहता है। जिसका की वह एक मात्र मालिक था और उसी ने दिनांक 28.03.07 को जरिये रजिस्ट्री बेचान पत्र प्र0सं0 3,4,5 को 1,50,000 रूपये में बेचान कर दी है तथा कब्जा भी उसी का है। मृतक काना एक रिकोर्ड खातेदार काश्तकार था जिसको कि अपना हिस्सा बेचने का पूर्ण वैधानिक अधिकार था उसी की स्वअर्जित आय से उसने उक्त भूमि खसरा नम्बर 597 में अपना 1/3 हिस्सा खरीदा था और उसी के नाम नामान्तकरण उक्त जमीन में 1/3 हिस्से का खोला गया था इसलिए उसको पूर्ण अधिकार था कि वह अपने हिस्से का बेचान कर सके और रिकोर्डेड टिनेन्ट द्वारा किये गये बेचान से वादी पूर्णतया पाबंद है वादी ने उक्त वाद गलत तथ्यों के आधार पेश किया है।

3. प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किये गए

- आया वादी आराजी खसरा नम्बर 597 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार काश्तकार है तथा इस आशय की घोषणा न्यायालय से प्राप्त करवाने का अधिकारी है।

वादी

- आया वादी कथित बेचान पत्र संख्या 428 दिनांक 5.04.2007 से पाबंद नहीं है

वादी

- आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र के मद नम्बर 1 में अंकित भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी

- आया प्रतिवादी संख्या 3 ल0 5 सद्भावी क्रेता है जिन्होने जरिये विक्रय पत्र उक्त आराजी खरीद की है तथा खरीदशुद्धा भूमि पर खरीद की दिनांक से उनकी का कब्जा चला आ रहा है।

प्रतिवादी

- आया मृतक काना रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार था जिसको अपना हिस्सा बेचने का पूर्ण अधिकार था।

प्रतिवादीगण

- अनुतोष ?

4. वादीगण की ओर से वाद पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य में साक्ष्य वादी– 1श्री भीवा पुत्र भोमाराम, साक्ष्य वादी–2 श्री हीरादास पुत्र मुरलीदास एंव साक्ष्य वादी–3 श्री रघुवीर सिंह पुत्र देवी सिंह के सशपथ बयान लेखबद्ध कराए गए तथा वादीगण की ओर से दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श–01 जमाबन्दी संवत 2060–63, प्रदर्श–02 विक्रय पत्र की सत्य प्रतिलिपि, प्रदर्श–03 विक्रय पत्र, प्रदर्श–04 जन्मतिथि प्रमाण प्रदर्शित करवाए गए।
5. प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु अनेक अवसर प्रदान करने के बावजूद साक्ष्य नहीं करवाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद किए गए।
6. हमने वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी। वकील वादी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी भीवा, काना, भूरा के पिता भेमा उर्फ भेबला द्वारा 23.04.71 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख हनुमान सिंह से स्वंय की पुश्तैनी अर्जित आय से अपने जांयदा पुत्रान भीवा,काना व भूरा के नाम क्रय की गई थी तथा भूमि का प्रतिफल भेमा उर्फ भेबला ने अदा किया था। इस प्रकार

उक्त आराजीयात का प्रतिफल भोमाराम उर्फ भेमा उर्फ भेवला ने अदा किया था अतः इस कथित आराजी वादी व प्रति 1–2 की स्वअर्जित नहीं है। प्रतिवादी 01 काना को नन्दाराम ने 23.02.1988 को गोद ले लिया तथा भूराराम भी परताराम के गोद चला गया। इस कारण प्रतिवादी 01 व 02 दोनो के गोद जाने के कारण विवादित आराजी में उनके कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और वादी ही सम्पूर्ण आराजी का मालिक हो गया है। अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजीयात के सम्पूर्ण रकबे का खातेदार घोषित किया जाए एंव प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पांबद किया जाए।

7. हमने वादी अधिवक्ता की बहस को ध्यान पूर्वक सुना ओर उस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात , बयानात् एंव न्यायिक दृष्टतों का अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी को पैतृक संपति मानकर स्वंय को सम्पूर्ण रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया है। प्रतिवादीगण 3 लगायत् 5 द्वारा संपति प्रति–01 की स्व अर्जित संपति होने के आधार पर उसको अपना बेचने का पूर्ण अधिकार था इसलिए वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्नानुसार हैः–

   1. तनकी संख्या–01: इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है।
      वादी द्वारा वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के पिता भेभा उर्फ भेबला द्वारा 23.04.71 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख स्वंय की पुश्तैनी आय से वादी एंव प्रतिवादी 1–2 के नाम से क्रय करने एंव भूमि का प्रतिफल भेभा उर्फ भेबला द्वारा अदा करने का कथन किया। वादी का कथन है कि आराजी क्रय करते समय कानाराम करीब 5 वर्ष तथा भूराराम 7–8 वर्ष का था। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1,2 की स्वअर्जित नहीं है। वादी के भाई काना व भूराराम के गोद चले जाने के कारण विवादित आराजी पर उनका कोई हक व अधिकार नहीं रहा और वादी सम्पूर्ण आराजी का खातेदार हो गया और वादी ही काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र को साबित करने हेतु प्रदर्श–01 जमाबन्दी संवत 2060–63 प्रदर्शित करवाई गई जिससे वादी व प्रतिवादी 1,2 वादग्रस्त आराजी के खातेदार है। वादी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श–03 से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूरा, काना व भीवा(वादी एंव प्रति 1,2) द्वारा क्रय की गई तथा विक्रय पत्र दिनांक 23.04.1971 को सबरजिस्ट्रार फुलेरा के समक्ष तस्दीक किया गया। वादी द्वारा प्रदर्शित प्रदर्श–03 राजकीय विद्यालय बाघावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र में कानाराम पिता भेभाराम की जन्म तिथि 16.07.1966 अंकित है। प्रतिवादी संख्या 02 भूराराम द्वारा इकबालिया जवाब पेश करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1,2 की स्वअर्जित आराजी नहीं है बल्कि प्रतिफल वादी व प्रतिवादी 1,2 के पिता द्वारा अदा किया था। भूराराम व काना के गोद चले जाने के कारण विवादित आराजी से उनका कोई संबंध नहीं है। अतः वादी की सम्पूर्ण रकबे की खातेदार का अधिकारी है।प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी है जिस पर गोद जाने के उपरांत भी कानून हक रहता है। यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है कि वादग्रस्त आराजी जरिए रजिस्टर्ड विक्रयनामा वादी व प्रतिवादी 1,2 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुई। वादी द्वारा प्रतिफल वादी व प्रतिवादी 1,2 के पिता द्वारा अदा किए जाने तथा प्रतिवादी 1,2 के गोद चले जाने के कारण वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि गोदनामें से संबंधित

दस्तावेजात वादी द्वारा प्रदर्श नहीं कराए गए है जिसके अभाव में प्रतिवादी 01 व 02 का गोद जाना प्रमाणित नहीं होता है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी क्रय करने के लिए वादी व प्रति01,02 के पिता द्वारा प्रतिफल अदा करने के आधार पर वादग्रस्त आराजी को वादी व प्रतिवादी 1,02 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के कथन किया गया है। इसमें हमारा मत है प्रतिफल से संबंधित विवादों के आधार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। बिना सक्षम सिविल न्यायालय से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराए बिना वादी सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी तनकी संख्या 1 को साबित करने में असफल रहे है जिसके फलस्वरूप तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

2. तनकी संख्या 02:– वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी क्रय करने के लिए वादी व प्रति 01,02 के पिता द्वारा प्रतिफल अदा करने के आधार पर वादग्रस्त आराजी को वादी व प्रतिवादी 01,02 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के कथन किया गया है। इसमें हमारा मत है प्रतिफल से संबंधित विवादों के आधार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। इस तरह से तनकी संख्या 2 भी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।
3. तनकी संख्या 03:– इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादी पर है ।पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2060–2063 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी 1 व 2 की सहखातेदारी की आराजी है। विधि का सुस्थापित सिंद्वात है कि रिकोर्डेड सहखातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद नहीं किया जा सकता है। अतः हम तनकी संख्या 3 को वादी के विरूद्ध निर्णीत करना उचित एंव न्यायसंगत समझते है।
4. तनकी संख्या 3,4 :– तनकी संख्या 1,2,3वादी के विरूद्ध तय हो चुकी है। तनकी संख्या 3,4 का विवेचन किया जाना आवश्यक नहीं है।
5. तनकी सं0 5 अनुतोष है। वादी द्वारा तनकी सं0 1 ,2,3 जो वादी द्वारा साबित किये जानी थी जिनको साबित करने में वादी असफल रहा है। अतः वाद को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। इसलिए वादी वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी के द्वारा अपना वाद साबित नहीं किये जाने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय दिनांक 31.10.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सर्वेश शर्मा)RAS
उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

भीवा बनाम कानां वगै0
वाद सं0 158/2008

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

आज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल

इजलास :– सर्वेश शर्मा आर.ए.एस.

1. भीवा पुत्र भोनाराम जाति जाट निवासी लालासर तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर हाल

1/1 सुरज्ञान मल पुत्र भीवाराम
1/2 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भीवाराम
1/3 तीजा देवी पत्नी भीवाराम
1/4 सुरजी देवी पुत्री भीवाराम
1/5 नूली देवी पुत्री भीवाराम
1/6 मंजू देवी पुत्री भीवाराम

वादीगण

बनाम

1. कानाराम दत्तक पुत्र नन्दा जाति जाट हाल
   1/1 सेडूराम पत्नी कानाराम
   1/2 रामप्रकाश पुत्र कानाराम
   1/3 श्रवण पुत्र कानाराम
   समस्त जाति जाट निवासी लालासर तहसील कि0 रेनवाल हाल निवासी छोटी भिलाल तहसील नांवा जिला नागौर राज0
   1/4कोयली देवी पुत्री कानाराम जाति जाट पत्नि शंकर लाल निवासी नया बास जोबनेर जिला जयपुर
   1/5 हंसा पुत्री कानाराम जाति जाट पत्नी फुलचन्द निवासी नयाबास जोबनेर
2. नूराराम दत्तक पुत्र परताराम जाति जाट निवासी लालासर तहसील कि0 रेनवाल
3. प्रेम देवी पत्नी जगदीश
4. नूरी देवी पत्नी मांगूराम
5. शांति पत्नी नारूराम

   समस्त जाति मीणा निवासी बलेखण तहसील चौमू जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नंबर 158/2008 पुराना,...../2023 नया

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मुकेश बगडिया व हाजरी श्री लक्ष्मण सिंह मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी के द्वारा अपना वाद साबित नहीं किये जाने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है। निज .....–..... मुबलिग.....–..... बाबत्.....–..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....–..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....–.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 10 सन् 25 को जारी की गई।

(सर्वेश शर्मा)RAS
उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

मुहर